समक्षः अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजनांदगॉव (छ0ग0)
(समक्ष– शक्ति सिंह राजपूत)

दावा प्रकरण क्रमांक : 27/2018
संस्थित दिनांक : 20.02.2018
CNR No- CGRN01 000217 2018

1. हेमदास साहू आ. स्व. लेखाराम साहू, आयु 45 वर्ष
निवासी ग्राम केसाल, थाना गैंदाटोला, तहसील–छुरिया
जिला राजनांदगॉव (छ.ग.)

2. श्रीमती दया बाई साहू ध.प. हेमदास साहू, आयु 43 वर्ष
निवासी ग्राम केसाल, थाना गैंदाटोला, तहसील–छुरिया
जिला राजनांदगॉव (छ.ग.)

————— आवेदकगण

बनाम

1 अमजद अली आ. आमिर अली, आयु 40 वर्ष,
पेशा ड्रायवर, निवासी ग्राम–छुरिया, थाना–छुरिया,
जिला राजनांदगॉव (छ.ग.)

2. श्रीमती श्वेता यादव C/o सुकृति यादव,
पेशा–वाहन स्वामिनी, द्वारा–नरेश यादव, आर्शीवाद ट्रेव्हल्स छुरिया,
जिला राजनांदगॉव (छ.ग.)

3 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
शाखा कार्यालय, शाखा प्रबंधक कामठी लाईन,
जिला राजनांदगॉव(छ.ग.)

————— अनावेदकगण

दावा आवेदन अंर्तगत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988

आवेदकगण द्वारा	:	श्री गंजीर अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा	:	श्री व्ही.बी.सिंह अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 3 द्वारा	:	श्री पंकज खनुजा अधिवक्ता।

अ धि नि र्ण य

(आज दिनांक 20/08/2019 को पारित)

1. आवेदकगण ने दिनांक 02.11.2017 को मोटर सायकल दुर्घटना में रूपेश कुमार साहू की मृत्यु होने से मृतक के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से 33,51,000/–रू. की क्षतिपूर्ति के लिए धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत दावा

आवेदन पेश किया है।

2. स्वीकृत तथ्य : अनावेदक क्रमांक 01 उक्त वाहन का चालक एवं अनावेदक क्रं. 02 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है, इसके अतिरिक्त प्रकरण में कोई भी उल्लेखनीय तथ्य स्वीकृत नहीं है।

3. आवेदकगण का दावा संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि – दुर्घटना दिनांक 02.11.2017 को मृतक रूपेश कुमार अपने साथी नरोत्तम साहू के साथ मोटर साईकिल से ग्राम टिपानगढ़ से अपने घर ग्राम केसाल आ रहा था तभी फाफामार व मेटेपार रोड पर कुमार साय के खेत के पास आशीर्वाद ट्रेव्हल्स की वाहन बस क्रं. सी.जी.–08–एम–9990 को अनावेदक क्र.01 ने तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाकर उन्हें ठोकर मार कर दुर्घटना कारित की, दुर्घटना के पश्चात् रूपेश साहू को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र छुरिया एवं उसके उपरांत जिला अस्पताल राजनांदगॉव एवं उसके उपरांत रायपुर मैकाहारा में ले जाया गया जहॉ रूपेश साहू को दुर्घटना में आई चोटो से इलाज के दौरान दिनांक 19.11.2017 को उसकी मृत्यु हो गयी।

4. उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना गैंदाटोला में अनावेदक क्रं. –1 के विरूद्ध अपराध क्रं. 78/17 धारा 279,337 एवं धारा 304–क भा.द.सं. का अपराध दर्ज किया गया, और समक्ष न्यायालय के अभियोग पत्र पेश किया गया।

5. अनावेदक क्रं. 1 एवं 2 के द्वारा संयुक्त रूप से जवाबदावा पेश करते हुए आवेदन में वर्णित अभिवचनों से इंकार किया है तथा अभिवचन किया है कि, कथित दुर्घटना हेतु मोटर सायकल का चालक ही जिम्मेदार था जो शराब के नशे में आकर उसके वाहन से टकरा गया था, आवेदकगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का ऑकलन बढाचढा कर किया गया है, उपरोक्त आधारों पर दावा आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

6. अनावेदक क्रं. 3 बीमा कंपनी ने पृथक जवाब दावा पेश कर दावा आवेदन के अभिवचनों से इंकार किया है तथा यह अभिवचन किया है कि, अनावेदक क्रं.–01 एवं 02 द्वारा प्रश्नगत वाहन को बीमा शर्तो का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था, जिस संबंध में अनावेदक क्रं.–2 को मोटर यान अधिनियम की धारा 56/190 फिटनेस सार्टिफिकेट न होने के उल्लंघन का दोषी पाया गया था और उस पर जुर्माना भी अधिरोपित की गयी थी, जिसके लिए अनावेदक किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति हेतु दायित्वाधीन नहीं है। उपरोक्त आधारों पर दावा आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

7. पक्षकारो के अभिवचन एवं दस्तावेजो के आधार पर निम्नानुसार वाद प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित किये गये है तथा निष्कर्ष के कारण पश्चात् में दिये गये हैं–

वादप्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या दुर्घटना दिनांक 02.11.2017 को अनावेदक क्रं.–1 ने वाहन बस पंजीयन नं. सी.जी.–08–एम–9990 को तेज गति, लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रूपेश कुमार को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित की?	" प्रमाणित "
2 क्या, उपरोक्त वर्णित दुर्घटना में आयी चोटो से रूपेश कुमार साहू की मृत्यु कारित हुयी?	" प्रमाणित "
3 क्या, उपरोक्त दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.01 के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था एवं अनावेदक क्रं.–01 एवं 02 के द्वारा बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है?	" प्रमाणित नहीं"
4. क्या, उपरोक्त दुर्घटना में मृतक रूपेश कुमार साहू की उपेक्षा/योगदायी उपेक्षा है?	" प्रमाणित नहीं"
5. क्या, आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितनी राशि किस अनावेदक से?	"आवेदकगण, अनावेदकगण से 9,85,000/– (नौ लाख पिच्यासी हजार रू.) रूपये संयुक्तः एवं पृथक–पृथक पाने के अधिकारी हैं"
6. सहायता एवं व्यय ?	" दावा आंशिक रूप से स्वीकृत "

सकारण निष्कर्ष

8. आवेदकगण की ओर से आवेदक साक्ष्य के रूप में आवेदक हेमदास साहू का परीक्षण कराया गया है। दस्तावेज के रूप में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–02, अपराध विवरण प्रदर्श पी.03, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.04, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–05, शव परीक्षण आवेदन मय प्रतिवेदन प्र.पी.–06 तथा मृतक का ईलाज पर्ची एवं बिल प्रदर्श पी 07 लगायत प्रदर्श पी–20 प्रस्तुत किया गया है।

9. अनावेदक क्र.01 द्वारा अपने स्वंय की साक्ष्य अंकित कराते हुए मूल परमिट की सत्यापित प्रति प्रदर्श डी–1–सी को प्रमाणित किया है।

10. अनावेदक क्रं.–3 की ओर से सी.टोप्पो, सहायक प्रबंधक नेशनल इंश्योरेस कम्पनी राजनांदगॉव की साक्ष्य अंकित कराते हुए बीमा पालिसी की सत्यापित प्रति प्रदर्श डी–2 एवं आपराधिक प्रकरण क्रं. 610/18 में पारित निर्णय की सत्यापित

प्रति प्रदर्श डी–3 को प्रमाणित किया है।

वादप्रश्न क्र. 1–

11. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी हेमदास साहू (आवेदक क्र.01) का साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया गया है। साक्षी का शपथपत्र के माध्यम से कथन किया मृतक रूपेश साहू अपने साथी नरोत्तम साहू के साथ मोटरसाईकिल से टिपानगढ से वापस अपने घर ग्राम केसाल आ रहे थे, शाम 5.45 बजे फाफामार व मेटेपार रोड पर कुमार साय के खेत के पास आर्शिवाद ट्रेव्हल्स की बस नंबर सी.जी.08 एम 9990 के चालक ने बस को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर नारोत्तम साहू एवें रूपेश साहू को ठोकर मार दी उक्त दुर्घटना में नरोत्तम साहू एवं उसके साथ रूपेश साहू को अत्याधिक गंभीर चोटे आये, जिन्हे तत्काल छुरिया अस्पताल में ले जाया गया जहॉ पर चिकित्सक द्वारा रूपेश साहू को जिला अस्पताल रेफर किया गया जहॉ से उसे इलाज के लिये रायपरु मेकाहारा रेफर किया गया जहॉ इलाज के दौरान रूपेश साहू की दिनांक 19.11.2017 को मृत्यु हो गयी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया हैं कि उसने घटना कैसे घटी यह नहीं देखा है। प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना नरोत्तम साहू की लापरवाही से होने के सुझाव को इंकार किया गया हैं। प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना में आयी चोटो से रूपेश साहू की मृत्यु होने के तथ्य को चुनौती नहीं दिया गया है।

12. अनावेदक क्र.01 स्वयं साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ हैं, अनावेदक क्र.01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य में कथन किया हैं कि मोटरसायकल चालक अत्याधिक शराब के नशे में था और स्वयं बस से टकरा गया, मोटरसायकल के पास महाराष्ट्र राज्य की शराब पाई गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना हैं कि उसके शपथपत्र में क्या–क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है।

13. आवेदकगण की ओर से प्रकरण में दुर्घटना के संबंध में थाना गैदाटोला में दर्ज प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी.01, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–02, अपराध विवरण प्रदर्श पी.03, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.04, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–05, शव परीक्षण आवेदन मय प्रतिवेदन प्र.पी.–06 की प्रमाणित प्रति पेश की गयी है। अनावेदकगण की ओर से मोटरसाईकिल के चालक नरोत्तम के शराब पीने का बचाव लिया गया हैं परंतु अन्य प्रकरण में सलंग्न नरोत्तम साहू की शवपरीक्षण में रिपोर्ट में मृतक नरोत्तम के शराब पीने की पुष्टि नहीं होती है, अन्य कोई साक्ष्य मृतक नरोत्तम की लापरवाही के संबंध में पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में प्रस्तुत उक्त दस्तावेज यह दर्शित करते हैं कि दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्र.01 के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–क भा.द.संहिता का अपराध दर्ज किया गया हैं और जॉच उपरांत

अभियोग पत्र पेश किया गया है। उक्त दस्तावेज के आधार पर यह संभावना की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित होता हैं कि दुर्घटना अनावेदक क्र.01 के द्वारा बस को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाने से घटित हुयी हैं और उक्त दुर्घटना में आयी चोटो से रूपेश साहू की मृत्यु कारित हुयी है। अतः वादप्रश्न क्र. 01 एवं 02 का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' में एंव वादप्रश्न क्र.04 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्र. 3—

14. उपरोक्त वादप्रश्न अनावेदक क्र.01 के पास दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं होने और बीमा पालिसी की शर्तो के भंग के संबंध में है।

15. अनावेदक क्र.01 अमजद अली साक्ष्य के लिये उपस्थित हुआ हैं और वाहन का परमिट को पेश किया है। अनावेदक क्र.01 के ड्रायविंग लायसेंस की प्रति पेश नहीं की गयी हैं और उक्त तथ्य को क्र.03 की ओर से चुनौती भी नहीं दी गयी है। अनावेदक क्र.03 की ओर से दुर्घटना के समय वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने का बचाव लिया है। अनावेदक क्र.01 ने भी साक्ष्य में दुर्घटना के समय वाहन का फिटनेस नहीं होना स्वीकार किया है। अनावेदक की ओर से दुर्घटना दिनांक के पूर्व ओर पश्चात् का फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की है। अनावेदक क्र.03 की ओर से प्रदर्श डी.03 का निर्णय की सत्यापित प्रति भी पेश की हैं जो कि अनावेदक क्र.02 के द्वारा अपराध को स्वीकार करने के संबंध में है।

16. अनावेदक क्र.03 की ओर से दुर्घटना दिनांक को वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र न होने का तर्क करते हुये मा. केरल उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत परीद पिल्लाई बनाम ओरिएंटल इंश्योरेश्स कंपनी लिमि. एम.ए.सी.ए. नंबर 2030/2015 निर्णय दिनांक 09.10.2018 पेश किया हैं जिसमें माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र न होने को बीमा पालिसी की शर्तो का उल्लंघन माना हैं।

17. अनावेदक क्र.01 एवं 02 की ओर से भी मान. कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत रीजनल मैनेजर बनाम लक्ष्मी रंगैहा निर्णय दिनांक 25.06.2014 एवं आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. बनाम सी.एस.रामलिंगम पेश किया हैं जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव को बीमा पालिसी का सारभूत भंग नहीं माना है।

18. आवेदकगण की ओर से माननीय छ.ग. उच्च न्यायलय के द्वारा न्यायदृष्टांत सुनील चन्द्रांकर बनाम मोहम्मद सलीम एवं अन्य एम.ए.सी नंबर

1251/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 पेश कर तर्क किया हैं कि माननीय छ.ग. न्यायालय के द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र न होने को बीमा पालिसी की शर्त का सारभूत भंग नहीं माना है उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 149(2) एवं मान. केरल उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत वेकेटचलैय्या बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमि. निर्णय दिनांक 24.08.2012 एवं मान.कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत अगस्टाईन व्हीएम बनाम अय्यपन कुटी एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2015 पर निर्भरता व्यक्त की है, तथा पश्चात् मैं माननीय केरल उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को पलटते हुये उपरोक्त परीद पिल्लाई वाले प्रकरण में फिटनेस प्रमाणपत्र न होने को भी पालिसी का भंग माना हैं।

19. जहॉ तक बीमा पालिसी के भंग का प्रश्न हैं अनावेदक क्र.03 की ओर से बीमा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रदर्श डी.02 को पेश किया हैं, बीमा की संपूर्ण शर्तो वाली पालिसी प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रदर्श डी.02 के अवलोकन से दर्शित होता हैं कि पालिसी में पालिसी की सीमा के संबंध में लेख हैं कि –

Limitation as to use:

The policy covers use only under a permit within the meaning of the motor Vehicle Act 1988 or such a carriage falling under Sub-section 3 of section 66 of the Motor Vehicle Act 1988. The Policy does not cover use for a) Organized racing, x x x x x x x x x x x

Driver Clause: xxxxxxxxx

20. उपरोक्त लिमिटेशन क्लॉज में परमिट और ड्रायविंग लायसेंस के संबंध में तो शर्त उल्लेखित हैं पंरतु फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में कोई शर्त उल्लेखित नहीं है। यह स्थापित विधि हैं कि बीमा पालिसी की शर्तो के भंग को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्र.03 अर्थात बीमा कंपनी है, पंरतु फिटनेस के आभाव में पालिसी की शर्त भंग होती है इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, पालिसी में This Policy subject to IMT Endorsement Numbers Printed herewith attached hereto: पंरतु पालिसी के साथ कोई भी आई.एम.टी संलग्न नहीं है। उपरोक्त स्थिति में यह नहीं माना जा सकता हैं कि बीमा पालिसी की शर्त का भंग किया गया हैं अतः वादप्रश्न क्र.03 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्र. 5—

21. आवेदकगण के अनुसार मृतक रूपेश साहू नागपुर में राजमिस्त्री का कार्य करता था जिससे उसे 400/—प्रतिदिन की आमदानी होती थी। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से कोई दस्तावेजी या स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं की है। मृतक की आमदानी के संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि यह माना जावें कि मृतक मजदूरी का कार्य करता था तो उसकी एक दिन की सामान्य मजदूरी की दर 200/—रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 6000/—रूपये मासिक अनुकल्पित आय मानते हुये मृतक की वार्षिक आय 72,000/— अनुकल्पित की जाती है।

22. मृतक रूपेश साहू पर उसके पिता ओर माता जो कि आवेदकगण हैं आश्रित बताया गये हैं इस तथ्य को चुनौती भी नहीं दी गयी है। इस तरह कुल दो लोग मृतक पर आश्रित थे ऐसी स्थिति में न्यायदृष्टांत : **SARLA VERMA & ORS VS DELHI TRANSPORT CORPORATION & ANR : AIR 2009 SUPREME COURT 3104 :** में दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिये 1/3 राशि अर्थात 24,000/—रूपये की कटौती करने पर आवेदकगणों की कुल आश्रितता 48,000/— होती है।

23. मृतक रूपेश साहू की मृत्यु के समय आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक की आयु 22 वर्ष लेख हैं उपरोक्त सरला वर्मा के न्यायादृष्टांत में 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिये 18 का गुणांक लगाया जाना सम्प्रेक्षित किया है। उक्त न्यायदृष्टांत में दिये गये दिशा—निर्देश के आधार पर 18 का गुणांक लगाने पर आवेदकगण की मृतक रूपेश साहू पर आश्रितता 48000 x 18 = ₹ 8,64,000/— आठ लाख चौसठ हजार रूपये की होती है। अतः आवेदकगणों को आश्रितता के मद में उक्त राशि अर्थात ₹8,64,000/— आठ लाख चौसठ हजार रूपये दिलाये जाते है।

24. आवेदकगण ने मृतक रूपेश की मृत्यु के पूर्व हुये इलाज के खर्चे के संबंध में प्रदर्श पी.08 से लगाकर पी.20 तक के दस्तावेज पेश किये हैं जिनके अनुसार आवेदकगण का कुल राशि 11,000/—लगभग रूपये इलाज में खर्च होना दर्शित होता है।

25. आवेदकगण मृतक रूपेश के पिता और माता है। ऐसी स्थिति में सहचर्य की हानि, संपदा की हानि एवं अंतिम संस्कार/क्रियाकर्म खर्च के मद में भी क्षतिपूर्ति

राशि के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017 SCC OnLine SC 1270 : (2017)16 एस.सी.सी. 680 में दिनांक 31.10.2017 को निर्णय पारित करते हुये सम्प्रेक्षित किया हैं कि –

> **"(viii) Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs. 15,000/-, Rs. 40,000/- and Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years."**

एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा माता–पिता और पुत्र/पुत्री को भी सहचर्य की हानि के संबंध क्षतिपूर्ति दिलाये जाना न्यायदृष्टांत मेग्गमा जनरल इंश्योरेंस कपंनी लिमिटेड विरूद्व नानूराम .2018 SCC OnLine SC 1546. में निर्धारित किया हैं।

26. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष्य में आवेदकगण को संपदा की हानि के मद में 15,000/– रू. एवं अंतिम क्रियाकर्म के मद में 15,000/–रू. की राशि दिलाई जाती है, तथा माता–पिता दोनों को सहचर्य की हानि के मद में 40–40,000/–दिलाये जाते है।

27. अतः आवेदकगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि के मद में ₹9,85,000/– रू. (नौ लाख पिच्चयासी हजार रू.) दिलाये जाते है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 5 का निष्कर्ष " हॉ, कुल ₹9,85,000/– रू. (नौ लाख पिच्चयासी हजार रू.) प्राप्त करने के अधिकारी हैं" में दिया जाता है।

28. दुर्घटना अनावेदक क्र.01 के द्वारा वाहन को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाने से घटित हुयी है। अनावदेक क्र.02 दुर्घटना के समय वाहन का पंजीकृत स्वामी था तथा अनावेदक क्र.03 वाहन की बीमा कंपनी है। बीमा पालिसी की शर्ते भंग होना प्रमाणित नहीं हुयी हैं अतः उपरोक्त परिस्थिति में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का दायित्व अनावेदक क्र.01 से 03 का पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से है।

29- आवेदकगण उक्त राशि पर दावा प्रस्तुत दिनांक 20.02.2018 से भुगतान दिनांक तक 7 (सात) प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि कोई राशि अंतरिम प्रतिकर के रूप में प्रदान की गयी हैं तो उक्त राशि मुजरा की जावेगी।

अनुतोष एवं वाद व्यय

वादप्रश्न क्रमांक 7

30. उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में दावा आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि :–

1– अनावेदक क्रमांक 01, 02 एवं 03 संयुक्तः एवं व्यक्तिगत तौर पर आवेदकगण को आज अधिनिर्णय दिनांक से एक माह के भीतर ₹9,85,000/– (नौ लाख पिच्चयासी हजार रूपये) रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अदा करें। यदि कोई राशि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई है, उक्त राशि मुजरा की जावे।

2– अनावेदक क्रमांक 01, 02 एवं 03 द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 20/02/2018 से राशि अदायगी दिनांक तक 7(सात) प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करें।

3– अनावेदक क्रमांक 01, 02 एवं 03 स्वयं का व्यय एवं आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर 2000/–(दो हजार,) रुपये स्वीकृत किया जाता है।

4– प्रदाययुक्त क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण बराबर अंशो में प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

प्रदाययुक्त क्षतिपूर्ति राशि जमा किए जाने पर <u>जनरल मैनेजर केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन त्रिवेन्द्रम विरूद्ध सुसम्मा थामस एवं अन्य (1994) 2 एस.सी.सी 176</u> में प्रतिपादित सिद्धांत के परिपेक्ष्य में –

– आवेदक क्रं 01 हेमदास साहू एवं 02 श्रीमती दया बाई साहू को प्राप्त होने वाली राशि में सें 4–4 लाख रूपये पॉच वर्ष की अवधि के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके नाम से सावाधि जमा रसीद के रूप में जमा की जावे तथा शेष राशि मय ब्याज आवेदक कं.–01 हेमदास साहू एवं आवेदक कं.–02 श्रीमती दया बाई साहू को बराबर–बराबर अंशो में बचत खाते के माध्यम से उन्हें प्रदान की जावे। यदि दोनों आवेदकगणों का संयुक्त बचत खाता हो तो उक्त राशि उक्त संयुक्त बचत खाता में जमा की जावे।

— आवेदक क्र.—01 एवं आवेदक क्र.—02 यदि चाहे तो उक्त सावधि जमा रसीद का ब्याज मासिक/त्रैमासिक रूप से प्राप्त सकेगी। आवेदकगण जमा रसीद पर किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

व्यय तालिका निर्मित की जावे, तदानुसार अधिनिर्णय पारित।

सही/—

राजनांदगॉव,
20—08—2019.

(शक्ति सिंह राजपूत)
सदस्य, अति मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
राजनांदगॉव, छ.ग.